न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– डॉ एस0पी0सिंह (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 13/2017

बउनवान

मॉगीलाल आयु 37 साल पुत्र श्री कल्लूराम जाति–मीणा निवासी–रामयपुरिया पोस्ट कडैयानोहर, तहसील–छबडा पेशा–उचित मूल्य दूकानदार ग्राम–घाटाखेडी प्रथम तहसील छबडा, जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये जिला रसद अधिकारी, बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील, धारा–22 राजस्थान खाद्यान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश,1976 के तहत

उपस्थिति :–1. श्री गजेन्द्र पंचौली, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार रसद **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक 09..11.2017

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक जिला रसद अधिकारी, बारां के आदेश दिनांक 14.06.2017 से अप्रसन्न होकर अपील विरूद्व रेस्पोंडेट अन्तर्गत धारा–22 राजस्थान खाद्यान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश,1976 के तहत प्रस्तुत कर अपील में कथन किया है कि अपीलांट ग्राम घाटाखेडी प्रथम तह0 छबडा का उचित मूल्य दूकानदार है। अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी, बारां द्वारा दिनांक 14.6.2017 को आदेश पारित कर समस्त प्रतिभूति राशि जप्त कर, प्राधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने कानून व तथ्यों के विपरीत जाकर उक्त आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 की धारा–8 के प्रावधानों की पूर्णतया पालना नहीं की गयी है। रेस्पों0 द्वारा आदेश के अनुसरण में ना तो निर्णय अलग से पारित किया है, न हीं अपीलांट को आवेदन के बावजूद कोई नकल नहीं दी गयी है, केवल आदेश की प्रमाणित प्रति दी है। अपीलांट ने अरोपित बिन्दुओं का एवं कारण बताओं नोटिस का जवाब दिया है तथा गॉव के सम्मानीय व्यक्तियों ने भी अनुशंषा की है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों की अवहेलना कर आदेश पारित किया गया है।

साथ हीं लिखा कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है क्योकि प्रवर्तन निरीक्षक, छबडा की रिपोर्ट एवं सरपंच ग्राम पंचायत घाटाखेडी की अनुशंषा की विवेचना नहीं की है। राशनकार्डधारी उपभोक्ताओं से पूछताछ नहीं की व बयान नहीं लिये है। जबकि अपीलांट वक्त जॉच उपस्थित नहीं था तो उसको न तो बुलवाया एवं न हीं उसके सामने जॉच की है। सरपंच, ग्राम पंचायत, घाटाखेडी का पति अपीलांट से राजनैति द्वेषता रखता है, अपीलांट की पत्नी सरपंच का चुनाव लड़ी थी एवं मौजूदा सरपंच से दस मत से हार गयी थी, इसलिये झूठी शिकायत

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

कर, अपीलांट का लाईसेंस निरस्त करवाया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी, बारां का आदेश दिनांक 14.6.2017 निरस्त फरमाया जाकर, अपीलांट का उचित मूल्य दुकानदार घाटाखेडी प्रथम का प्राधिकार पत्र बहाल किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। प्रकरण में जिला रसद अधिकारी,बारां से अभिलेख प्राप्त होने पर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार रसद सुनी गयी।

बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट ग्राम घाटाखेडी तह. छबडा का उचित मूल्य दुकानदार है। ग्रामवासी गोविन्दपुरी के कुछ लोगों ने द्वेषतावश जिला रसद अधिकारी, बारां को झूठी व बनावटी शिकायत की गयी थी जिसपर दिनांक 10.2.2017 को प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा उचित मूल्य दूकान का मौके पर पहुॅचकर जॉच करनें पर स्टॉक रजिस्टर का संधारण नहीं होना एवं राशनसामग्री का वितरण नहीं करना पाया गया था जिसकी रिपोर्ट जिला रसद अधिकारी, बारां को प्रस्तुत की गयी थी जिसपर जिला रसद अधिकारी, बारां द्वारा अपीलाट को दिनांक 13.2.2017 को कारण बताओं नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया था एवं दिनांक 10.3.2017 को प्राधिकार पत्र निलंबित किया गया था। अप्रार्थी ने आरोपित सभी बिन्दुओं का दिनांक 1.6.2017 को उपस्थित होकर, जवाब प्रस्तुत किया गया था, जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है किन्तु उसकी आदेशिका में कोई जवाब पेश करने का वर्णन नहीं है। मात्र कयास एवं जॉच की पुष्टि एवं जॉच की विवेचना किये बिना हीं, मात्र झूठी शिकायत एवं सरपंच की अनुशंषा के आधार पर हीं एकाएक नियमों के विरूद्व जाकर, अपीलांट के प्राधिकार पत्र को निरस्त करने के आदेश दिनांक 14.6.17 को जारी कर दिये। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने से पूर्व नोटिस में दिये गये तथ्यों को प्रमाणित नहीं किया गया है ना हीं अपीलांट के जवाब की कोई खण्डना की है। मात्र अपीलांट के प्राधिकार के निरस्तीकरण के सीधे हीं आदेश जारी किये गये है। आदेश जिससे अपीलांट के आरोप प्रमाणित होते हो, पृथक से अनियमितता की प्रमाणिकता की कोई व्याख्या नहीं कर, मात्र आनन फानन में एकपक्षीय आदेश पारित किये गये है जिसे किसी भी सूरत में विधिक नहीं माना जा सकता। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई जॉच पडताल किये, आरोपों का परीक्षण एवं अनियमितता को पुष्ट किये बिना एकपक्षीय आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 14.6.2017 को अपास्त कर, पत्रावली को न्यायिक दृष्टिगत सुनवाई कर, पुनः आदेश पारित करने हेतु जिला रसद अधिकारी, बारां रिमाण्ड फरमायी जावें।

इसके विपरीत पेरोकार रसद, बारां ने अपीलांट अभिभाषक के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि ग्रामवासियान् की शिकायत पर प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा उचित मूल्य दूकानदार घाटाखेडा की जॉच की गयी थी। जॉच के दौरान स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराना, उपभोक्ताओं को माह दिसम्बर व जनवरी–17 को राशन खाद्यान्न नहीं देना, राशनकार्ड की एन्टी गलत तरीके से करने एवं उपभोक्ताओं

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

से दुर्व्यवहार की शिकायत की जॉच की गयी थी जो जॉच व मौका फर्द रिपोर्ट से प्रमाणित होती है। अपीलांट द्वारा उपभोक्ताओं को माह दिसम्बर का राशन नहीं दिया गया है, जो पॉश मशीन से भी प्रमाणित है। अपीलांट आदतन राशन नहीं देने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा डीलर के विरूद्व अनियमितताऐं प्रमाणित होने के पश्चात् की अनुज्ञापत्र निरस्तीकरण के आदेश पारित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपील खारिज फरमायी जावें।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार रसद की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का मुख्य तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनियमितताओं का परीक्षण एवं पुष्ट किये बिना तथा जवाब की विवेचना नहीं कर, बिना निर्णय लिखे ही आदेश पारित कर, प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। इसके विपरीत रेस्पों0 पेरोकार रसद का तर्क रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जॉच उपरान्त आरोप प्रमाणित होने के उपरान्त हीं प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। इस परिपेक्ष्य में पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा डीलर को प्रवर्तन निरीक्षक की जॉच रिपार्ट दिनांक 10.2.17 के आधार पर कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। डीलर अपीलांट द्वारा उक्त नोटिस का जवाब दिनांक 1.6.17 को अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया है, जवाब पत्रावली में संलग्न है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब की विवेचना किये बिना एवं आरोपो को पुष्ट व प्रमाणित किये बिना हीं मात्र सरपंच ग्राम पंचायत, घाटाखेडी की अनुशंषा के आधार पर हीं दिनांक 14.6.2017 को प्राधिकार निरस्तीकरण के आदेश पारित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश दिनांक 14.6.17 के अनुसरण में अनियमितताऐं प्रमाणित होने संबंधी अहकाम आदेशिका का निर्णय नहीं लिखा गया है, जिससे यह सिद्व नहीं होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय विधिवत सुनवाई एवं आरोप प्रमाणित होने के फलस्वरूप हीं दिये गये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना जॉच प्रमाणित किये आदेश पारित करने में विधिक भूल की है।

परिणामस्वरूप अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी, बारां द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.06.2017 अपास्त किया जाकर पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी, बारां को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलांट को पुनः सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, प्रवर्तन निरीक्षक की जॉच रिपोर्ट दिनांक 10.2.2017 के अनुसरण में रेकार्ड अनुसार जॉच कर, पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। अपीलांट को पाबन्द किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई हेतु दिनांक 21.12.2017 को उपस्थित होंवे।

निर्णय आज दिनांक 09.11.2017 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ0 एस.पी.सिंह)
जिला कलक्टर,बारां
जिला कलक्टर
बारां (राज०)